

भारत सरकार  
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण  
पटना अंचल, पटना।

दिनांक: 09 APR 2024

मत्स्य (मछली) पालने एवं पकड़ने के अधिकार हेतु निविदा-सह-नीलामी की सूचना

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पटना अंचल कार्यालय के अन्तर्गत गोंसाईखंडा, संदलपुर, पटना स्थित पुरातत्वविक अधिकृत क्षेत्र तालाब में मछली पालने/पकड़ने हेतु दिनांक 01.05.2024 से 30.04.2026 (दो साल) की अवधि के लिए मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक उम्मीदवार बोली लगाने हेतु इस बाबत नियम व शर्तें तथा निविदा प्रपत्र 500-(पाँच सौ रूपया) मात्र का भुगतान कर (जो लौटाया नहीं जाएगा) संरक्षण सहायक का कार्यालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उप अंचल, कुम्रहार, पटना से दिनांक 10.04.2024 से 22.04.2024 तक किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस कार्यालय के वेबसाइट [www.asipatnacircle.gov.in](http://www.asipatnacircle.gov.in) द्वारा भी निविदा प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है। वेबसाइट से निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की स्थिति में रूपये 500/- मात्र का डिमान्ड ड्राफ्ट (निविदा राशि) अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल, पटना, जिसका भुगतान किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक पटना के नाम देय हो, जमा करना होगा। सभी निविदा प्रपत्र दिनांक 23.04.2024 को 11:00 बजे पूर्वाह्न तक अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल, जे० सी० रोड, अण्टा घाट, पटना के कार्यालय में जमा करना होगा जो उसी दिन 11:30 बजे पूर्वाह्न में अधीक्षण पुरातत्वविद् के कार्यालय कक्ष में उपस्थित निविदा दाताओं/बोली लगाने वाले के समक्ष खोली जाएगी और बोली लगायी जाएगी।

प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ 5,000/-रूपये (पाँच हजार रूपये) मात्र का डिमान्ड ड्राफ्ट (अर्नेस्ट मनी के रूप में) अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल, पटना, जिसका भुगतान किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक पटना के नाम देय हो, जमा करना होगा। बिना अर्नेस्ट मनी की निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदा-सह-नीलामी में उच्चतम राशि बोलने वाले सफल व्यक्ति को प्रस्तावित राशि का कम से कम 50 प्रतिशत तत्काल तथा शेष राशि एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा। भुगतान निर्धारित समयावधि में जमा नहीं करने पर उनकी निविदा रद्द कर दी जाएगी। सफल निविदा प्राप्त कर्ता को अर्नेस्ट मनी की राशि, निविदा की अवधि 30.04.2026 के बाद उप अंचल प्रभारी द्वारा निर्गत 'No Damage Certificate' जमा करने के उपरान्त लौटायी जाएगी। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी वेबसाइट [www.asipatnacircle.gov.in](http://www.asipatnacircle.gov.in) पर प्राप्त कर सकते हैं।

अधीक्षण पुरातत्वविद् के पास जनहित में, निविदा काल के दौरान आवश्यकता पड़ने पर, किसी भी शर्त में परिवर्तन करने तथा किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

अधीक्षण पुरातत्वविद्  
8/4/24